

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या -128/2025

अनवान :

ओमप्रकाश पुत्र भागराम जाति मेघवाल निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

तहसीलदार राजस्व टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपरिथति:-1 अधिवक्ता श्री सुभाषचन्द्र गर्ग :-वादी

2 राजपैरोकार

डिक्री

दिनांक...17/6/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व राजपैरोकार अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नं० 10 जीजीआर के खाता सं० 427/224 में दर्ज वादी का नाम ओमप्रकाश पुत्र भागराम व चकनं० 13 जीजीआर के खाता सं० 308/174 में दर्ज नाम ओमप्रकाश पुत्र भागराम व ओमप्रकाश पुत्र भागराम के स्थान पर नाम दुरुस्त कर सही नाम ओमप्रकाश पुत्र भागराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अगर प्रार्थी पर कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम व पता ही मान्य होंगे। तहसीलदार टिब्बी को आदेति किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/6/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



सत्यनारायण (R.A.S.)  
पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी